संख्या–भा0स0134 / 14–2–2017–800 (8) / 2017

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0,लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 01 अगस्त, 2017**

विषय– कन्नौज़ में तिर्वा–बेला मार्ग (एन0एच0–234) किमी0 142 से 123 तक 4 लेन चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 9.5 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 2296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / यूपी / 06 / 41 / 2017 / एफसी / 52, दिनांक 19–7–2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कुल 6 बिन्दुओं पर अंकित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 19–7–2017 के साथ संलग्न 02 प्रस्ताव वापस करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि प्रस्ताव 02प्रतियां।

भवदीय,

BSingh

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।